अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

भारतसिंह बनाम **नेमीचन्द आदि**

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 125 / 2015 **निर्णय दिनांक– 11.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 48 रकबा 1.45 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 105 रकबा 1.45 हैक्टेयर वाके ग्राम झाड़ेवा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. भारतसिंह पुत्र मंशाराम जाति जाट सा. बिड़ोदी बड़ी राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन	150 / 2	0.3475 हैक्टेयर	चाही 3	5.90
2. नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देह	150 / 3	0.3475 हैक्टेयर	चाही 3	5.90
3 रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देह	150 / 4	0.3475 हैक्टेयर	चाही 3	5.90
4. भारतसिंह पुत्र मंशाराम हि. 1 / 4 राहिन बी.आर. के.जी.बी. शाखा नवलगढ़ सा. बिड़ोदी बड़ी नेमीचन्द रामलाल पि. सुरजाराम हि. 3 / 4 जाति जाट सा. देह	150 / 1	0.06 हैक्टेयर	चाही 3	1.05
5. नेमीचन्द रामलाल पि. सुरजाराम जाति जाट सा. देह	150 / 5	0.3475 हैक्टेयर	चाही 3	5.90

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वोह वादी के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअंदाजी पैदा करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.06.2018 को केम्प बीदासर में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Web Copy - Not Official

दावा सं. 125/2015 उनवान भारतसिंह बनाम नेमीचन्द आदि

11.06.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प बीदासर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से वांछित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर प्रति. सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादी ने बंटवारा चाहा है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। प्रति. सं. 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/न्याय आपके द्वार/18/183 दिनांक 11.06.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 48 रकबा 1.45 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 105 रकबा 1.45 हैक्टेयर वाके ग्राम झाड़ेवा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–	

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. भारतसिंह पुत्र मंशाराम जाति जाट सा. बिड़ोदी बड़ी राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन	150/2	0.3475 हैक्टेयर
2. नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देह	150/3	0.3475 हैक्टेयर
3 रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देह	150/4	0.3475 हैक्टेयर
4. भारतसिंह पुत्र मंशाराम हि. 1/4 राहिन बी.आर. के.जी.बी. शाखा नवलगढ़ सा. बिड़ोदी बड़ी नेमीचन्द रामलाल पि. सुरजाराम हि. 3/4 जाति जाट सा. देह	150/1	0.06 हैक्टेयर
5. नेमीचन्द रामलाल पि. सुरजाराम जाति जाट सा. देह	150/5	0.3475 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वोह वादी के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअंदाजी पैदा करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर

Web Copy - Not Official